### उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-2 संख्या- - / V-2 / 2023 / E 33479 / 15(आ0)22 देहरादून : दिनांक: 29 मई, 2025

### कार्यालय-ज्ञाप

अधिसूचना संख्या—153 / XXXVI-(3) / 2025 / 11(01) / 2025 दिनांकः 11.04. 2025 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2025" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है:-

- 1-सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3-स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-सचिव, गृह विभाग / शहरी विकास / राजस्व विभाग / पर्यटन विभाग / पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6-मण्डलायुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 7-समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 8-उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
- 9-उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड ।
- 10-आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून।
- मुख्य नगर **11**—अपर प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 12-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 13-गार्ड फाइल।

Digitally signed by Narendra Singh Rawat Date: 29-05-2025 14:22:4(हरेन्द्र सिंह रावत)

अन् सचिव।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

# उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

# विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 11 अप्रैल, 2025 ई0 चैत्र 21, 1947 शक सम्वत्

#### उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 153/XXXVI (3)/2025/11(01)/2025 देहरादून, 11 अप्रैल, 2025

## अधिसूचना

### विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मां राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2025 पर दिनांक 09 अप्रैल, 2025 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 08, वर्ष— 2025 के रूप में सर्व—साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2025 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2025)

उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2025 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।  2. उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में – (i) खण्ड (ण) के स्थान पर निम्निलेखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:— "(ण) "भूमि संग्रहीकरण योजना से इस अधिनियम की धारा 9—क के अन्तर्गत बनायी गई भूमि संग्रहीकरण योजना या भूमि संग्रहीकरण नियम अभिप्रेत है।" (ii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्निलेखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:— "(थ) "भूमि अधिप्राप्ति नियम" से राज्य प्राधिकरण एवं /अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण प्रथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति / भूमि कर नियमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।"  घारा 4 का संशोधन  3. मूल अधिनियम की धारा 4 में — (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (व) एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। (ख) उपधारा (3) में— (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्द "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर
धारा 2 का संशोधन  2. उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में —  (i) खण्ड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:—  "(ण) "भूमि संग्रहीकरण योजना से इस अधिनियम की धारा 9—क के अन्तर्गत बनायी गई भूमि संग्रहीकरण योजना या भूमि संग्रहीकरण योजना या भूमि संग्रहीकरण नियम अभिप्रेत है।"  (ii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:—  "(थ) "भूमि अधिप्राप्ति नियम" से राज्य प्राधिकरण प्वं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति/भूमि कर नियमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।"  धारा 4 का संशोधन  3. मूल अधिनियम की धारा 4 में —  (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (व) एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं।  खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्ध" जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			· ·
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।  2. उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में —  (i) खण्ड (ण) के स्थान पर निम्निलखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—  "(ण) "भूमि संग्रहीकरण योजना" से इस अधिनियम की धारा 9—क के अन्तर्गत बनायी गई भूमि संग्रहीकरण योजना या भूमि संग्रहीकरण नियम अभिप्रेत है।"  (ii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्निलखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—  "(थ) "भूमि अधिप्राप्ति नियम" से राज्य प्राधिकरण पृवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण पृवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति/मूमि कर नियमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धार उठ के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।"  धारा 4 का संशोधन  3. मूल अधिनियम की धारा 4 में —  (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्द "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			
<ul> <li>धारा 2 का संशोधन</li> <li>2. उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में -  (i) खण्ड (ण) के स्थान पर निम्निलखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:-  "(ण) "मूमि संग्रहीकरण योजना सा भूमि संग्रहीकरण योजना या भूमि संग्रहीकरण नियम अभिप्रेत है।"  (ii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्निलिखत खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:-  "(थ) "भूमि अधिप्राप्ति नियम" से राज्य प्राधिकरण एवं / अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं / अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण प्यंास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति / मूमि कृष्य यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति / मूमि कृष्य मयमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धार 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।"</li> <li>धारा 4 का संशोधन</li> <li>3. मूल अधिनियम की धारा 4 में -  (क) उपधारा (2-क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ), (वं (डं) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्द "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो</li> </ul>	2 12 2		
ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में —  (i) खण्ड (ण) के स्थान पर निम्निलखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:—  "(ण) "भूमि संग्रहीकरण योजना" से इस अधिनियम की धारा 9—क के अन्तर्गत बनायी गई भूमि संग्रहीकरण योजना या भूमि संग्रहीकरण नियम अभिप्रेत है।"  (ii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्निलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:—  "(थ) "भूमि अधिप्राप्ति नियम" से राज्य प्राधिकरण एवं / अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति / भूमि कर नियमानुसार करने हेतु. इस अधिनियम की धारा 4 खण्ड 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।"  धारा 4 का संशोधन  3. मूल अधिनियम की धारा 4 में —  (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (त एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्द "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न ही	धारा 2 का संशोधन	2.	
यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में —  (i) खण्ड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:—  "(ण) "भूमि संग्रहीकरण योजना" से इस अधिनियम की धारा 9—क के अन्तर्गत बनायी गई भूमि संग्रहीकरण योजना या भूमि संग्रहीकरण नियम अभिप्रेत है।"  (ii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:—  "(थ) "भूमि अधिप्राप्ति नियम" से राज्य प्राधिकरण एवं / अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति / भूमि कर नियमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धार 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।"  धारा 4 का संशोधन  3. मूल अधिनियम की धारा 4 में —  (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। (ख) उपधारा (3) में—  (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्ध "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न ही			ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (जिसे
प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:— "(ण) "भूमि संग्रहीकरण योजना" से इस अधिनियम की धारा 9—क के अन्तर्गत बनायी गई भूमि संग्रहीकरण योजना या भूमि संग्रहीकरण नियम अभिप्रेत है।" (ii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्निलखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:— "(थ) "भूमि अधिप्राप्ति नियम" से राज्य प्राधिकरण एवं / अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति / भूमि क्रय नियमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धार 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।" धारा 4 का संशोधन  3. मूल अधिनियम की धारा 4 में — (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। 'खण्ड (क) में शब्द 'अध्यक्ष' के पश्चात् शब्ध 'जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2
प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:— "(ण) "भूमि संग्रहीकरण योजना" से इस अधिनियम की धारा 9—क के अन्तर्गत बनायी गई भूमि संग्रहीकरण योजना या भूमि संग्रहीकरण नियम अभिप्रेत है।" (ii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:— "(थ) "भूमि अधिप्राप्ति नियम" से राज्य प्राधिकरण एवं / अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं / अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति / भूमि क्रय नियमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धार उठ के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।" धारा 4 का संशोधन  3. मूल अधिनियम की धारा 4 में — (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठण्वं (डं) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। उपधारा (3) में— (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्ध "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			(i) खण्ड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड
"(ण) "भूमि संग्रहीकरण योजना" से इस अधिनियम की धारा 9-क के अन्तर्गत बनायी गई भूमि संग्रहीकरण योजना या भूमि संग्रहीकरण नियम अभिप्रेत है।"  (ii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्निलिखत खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:—     "(थ) "भूमि अधिप्राप्ति नियम" से राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति/भूमि क्रय वियमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धार 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।"  धारा 4 का संशोधन  3. मूल अधिनियम की धारा 4 में —     (क) उपधारा (2-क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं।     (ख) उपधारा (3) में—     (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्ध "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:-
गई भूमि संग्रहीकरण योजना या भूमि संग्रहीकरण नियम अभिप्रेत है।"  (ii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्निलेखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:—  "(थ) "भूमि अधिप्राप्ति नियम" से राज्य प्राधिकरण एवं / अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति / भूमि क्रय नियमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धार 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।"  धारा 4 का संशोधन  3. मूल अधिनियम की धारा 4 में —  (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। (ख) उपधारा (3) में—  (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्द "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			"(ण) "भूमि संग्रहीकरण योजना" से इस
संग्रहीकरण नियम अभिप्रेत है।"  (ii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:—  "(थ) "भूमि अधिप्राप्ति नियम" से राज्य प्राधिकरण एवं / अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति / भूमि क्रय नियमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धार 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।"  धारा 4 का संशोधन  3. मूल अधिनियम की धारा 4 में —  (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं।  (ख) उपधारा (३) में—  (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्ध "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			अधिनियम की धारा 9-क के अन्तर्गत बनायी
(ii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:— "(थ) "भूमि अधिप्राप्ति नियम" से राज्य प्राधिकरण् एवं / अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण् यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति / भूमि क्रय् नियमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धार 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।" धारा 4 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 4 में — (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। (ख) उपधारा (3) में— (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब् "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			गई भूमि संग्रहीकरण योजना या भूमि
अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्ः— "(थ) "भूमि अधिप्राप्ति नियम" से राज्य प्राधिकरण्ण्यं / अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण्यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति / भूमि क्रय्यस्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति / भूमि क्रय्यस्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति / भूमि क्रय्यमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धार 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।" धारा 4 का संशोधन  3. मूल अधिनियम की धारा 4 में — (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। (ख) उपधारा (3) में— (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्ध्यक्ष जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			
(थ) "भूमि अधिप्राप्ति नियम" से राज्य प्राधिकरण एवं / अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति / भूमि क्रय नियमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धार 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।" धारा 4 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 4 में — (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। (ख) उपधारा (3) में— (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्ध "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			( )
एव / अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति / भूमि क्रय नियमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धार 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है। " धारा 4 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 4 में — (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। (ख) उपधारा (3) में— (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब् "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			"(ग) "भूमि अधार्णित निमा" से सन्य स्थित
यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति / भूमि क्रय् नियमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धार 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।" धारा 4 का संशोधन  3. मूल अधिनियम की धारा 4 में — (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। (ख) उपधारा (3) में— (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब् "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			एवं /अथवा स्थानीय विकास मधिकाण
नियमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धार 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।" धारा 4 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 4 में — (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। (ख) उपधारा (3) में— (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब् "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			यथास्थिति. द्वारा अधिपाप्ति / भूमि क्या
55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।"  धारा 4 का संशोधन  3. मूल अधिनियम की धारा 4 में —  (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं।  (ख) उपधारा (3) में—  (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्  "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो	97		नियमानुसार करने हेत्, इस अधिनियम की धारा
धारा 4 का संशोधन  3. मूल अधिनियम की धारा 4 में — (क) उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। (ख) उपधारा (3) में— (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब् "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।"
एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। (ख) उपधारा (3) में— (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो	धारा 4 का संशोधन	3.	मूल अधिनियम की धारा 4 में –
एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। (ख) उपधारा (3) में— (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			(क) उपधारा (2-क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ)
(i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब् "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			एव (ड) एव परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं।
"जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो			
			(1) खण्ड (क) म शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्द
पाल्य शक्तातानिक का किसे नार्सिक			
शब्द अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगें। (ii) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्	5		

	т (т),	प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:— "(ग) राज्य सरकार के आवास विभाग का भारसाधक सचिव अथवा उसके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी, जो कि संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो।" (iii) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:—
		"(घ) प्रत्येक जिले का विरष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक (यातायात) यथास्थिति, जिसका कोई भाग विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है अथवा उसके द्वारा नामित कोई अधिकारी, जो कि पुलिस उपाधीक्षक से निम्न स्तर का न हो, पदेन;"
		(iv) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:— "(च) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी, जो कि उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो, पदेन;"
Section 2		(v) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:–
	ν·	"(छ) सम्बन्धित जिले का नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी अथवा शहरी स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी, पदेन;"
		(vi) खण्ड (ज) में "उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "जो कि उपजिलाधिकारी से निम्न स्तर का न हो," शब्द अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगें। (vii) खण्ड (झ) एवं (ञ) विलोपित किये जाते हैं।
धारा 6 का संशोधन		मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:—
		"(घघ) उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं मल निकास अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबंध निदेशक अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति, पदेन;"

धारा 7-क का संशोधन	मूल अधिनियम की धारा 7—क के खण्ड (तेरह) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्था,पित कर दिया जायेगा; अर्थातः—	-
· 27	"(तेरह—क) अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 4 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनना;"	
धारा 9-क का संशोधन	6. मूल अधिनियम की धारा 9—क के स्थान पर निम्निलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:— "9—क "नगर नियोजन योजना" एवं "भूमि संग्रहीकरण योजना":—	
	(1) राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार एक अथवा अधिक, नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि	
	संग्रहीकरण योजना बना सकेगा। (2) इस प्रकार बनाई गई नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहींकरण योजना को राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।	
	(3) यदि कोई क्षेत्र, जो स्थानीय विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है तथा वहाँ नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना तैयार एवं क्रियान्वित की जानी है, तो उस क्षेत्र को राज्य सरकार नगर. नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना के उद्देश्य एवं क्रियान्वयन	
	हेतु स्थानीय विकास प्राधिकरण का विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगीः परन्तु, राज्य सरकार, नगर नियोजन योजन एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना क निर्माण एवं क्रियान्वयन राज्य प्राधिकरण अथव राज्य विकास प्राधिकरण से इतर किसी अन् अभिकरण से भी करा सकेगी।	T T
P	(4) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों में किसी बा के होते हुये भी नगर नियोजन योज एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना तत्सम प्रचलित महायोजना अथवा क्षेत्रीय विक योजना पर अधिभावी होगी।"	ना

नई धाराओं 9—ख एवं	7.	धारा 9—क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं
9–ग का अंतःस्थापन		अन्तःस्थापित कर दी जायेंगी; अर्थात्:-
		'9—ख राज्य प्राधिकरण एवं स्थानीय विकास
		प्राधिकरण द्वारा प्रभाव क्षेत्र की अधिसूचना:
- 1 10 m 1 1 1 1		(1) राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास
T		प्राधिकरण, नगर नियोजन योजना अथवा भूमि
,		संग्रहीकरण योजना के प्रारूप यथास्थिति, के
हें पुलिस्ति ।  — अ		
		अनुमोदन उपरान्त सम्बन्धित योजना के परिधि
- V 2		के प्रभाव क्षेत्र को अधिसूचित कर सकेगी, चूंकि
-		वहाँ के निवासियों की इन योजनाओं में
ATT STOR TO BE		बुनियादी ढाँचे के विकास का लाभ मिलेगा।
		ऐसा प्रभाव क्षेत्र सम्बन्धित योजनाओं की सीमा
p)		से 500 मी0 से अधिक नहीं होगा।
T. 1 1	- 6	(2) प्रभाव क्षेत्र में प्रस्तावित विकास पर नियमों में
	-	विहित विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क लगेंगें।
	16	9—ग विकास पर प्रतिबन्ध:—
	, ,	(4) 7917-111 - 11
2		(1) स्थानीय विकास प्राधिकरण, नगर नियोजन
		योजना एवं / अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना
0 1 1		के प्रारूप में प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी
		विकास या निर्माण को स्थिर कर सकेगा, जैसा
C.	P	कि नियमों में विहित हो।
1	10 1	(2) राज्य प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरण
and the state of t	In or	को नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि
.保护 1 16 160 下 5	-	संग्रहीकरण योजना के प्रारूप, जो कि उसके
The state of the state of	1	द्वारा जारी की गई हो, के किसी क्षेत्र में किसी
	F	भी विकास या निर्माण को स्थिर करने का
		निर्देश दे सकेगा।"
धारा 17-क का संशोधन	8.	मूल अधिनियम की धारा 17-क में-
8		(i) खण्ड (ग) में "संकलन नीति" शब्दों के स्थान
* .	51F -	पर "भूमि संग्रहीकरण योजना" शब्द प्रतिस्थापित
		कर दिये जायेंगें।
	C	(ii) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड
		प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:–
E. L.		"(घ) किसी व्यक्ति/अभिकरण/कम्पनी, निजी या
		सार्वजनिक से विहित नियमों के अधीन भूमि
		अधिप्राप्ति / भूमि क्रय / समझौते के माध्यम से भूमि
t e		का क्रय।"
		יין אירן

the same	1	And the second s
नई धारा 17—ग का अंतःस्थापन	9.	मूल अधिनियम की धारा 17—ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्ः—
A RESTANCE OF THE STATE OF THE		"17—ग स्थानीय विकास प्राधिकरण का भू—बैंक— (1) स्थानीय विकास प्राधिकरण को निम्नलिखित के माध्यम से निजी भू—बैंक सृजित करने की शक्ति होगीः (क) भूमि अर्जन के समय प्रवृत्त भूमि अर्जन अधिनियम/नियम के अधीन राज्य सरकार, अथवा
		(ख) राज्य सरकार से प्राप्त अवशेष भूमि, अथवा (ग) भूमि अर्जन/भूमि संग्रहीकरण
		योजना से, अथवा (घ) किसी व्यक्ति / अभिकरण / कम्पनी, निजी या सार्वजनिक से विहित नियमों के अधीन भूमि अधिप्राप्ति / भूमि क्रय / समझौते के माध्यम से भूमि का क्रय। (2) स्थानीय विकास प्राधिकरण को अपने भू—बैंक से किसी भूमि को राज्य प्राधिकरण / किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण / कम्पनी / अभिकरण / व्यक्ति निजी अथवा लोक को ऐसी रीति तथा ऐसी शर्तो के निर्बन्धनों के अध्यधीन जैसा समाचीन समझा जाये, को निस्तारित / अंतरित करने की शक्ति होगी।
धारा 18 का संशोधन	10.	मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (6) में "जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील" शब्दों के स्थान पर "राज्य प्राधिकरण के समक्ष निगरानी" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगें।"
धारा 55 का संशोधन	11.	मूल अधिनियम की धारा 55 में—  (क) उपधारा (1) में "या राज्य प्राधिकरण" शब्द विलोपित किये जाते हैं।  (ख) उपधारा (2) के खण्ड (ग) को खण्ड (छ) के रूप में पुनंसंख्याकित किया जायेगा और खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित

-			
			कर दिये जायेंगें; अर्थात्:— "(ग) धारा 9-क के अन्तर्गत भूमि संग्रहीकरण योजना को राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वयन हेतु रीति। (घ) धारा 9-क के अन्तर्गत नगर नियोजन योजना को राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वयन हेतु रीति। (ङ) विकास क्षेत्र एवं प्रभाव क्षेत्र में विकास शुल्क का उद्ग्रहण। (च) किसी व्यक्ति /अभिकरण/कम्पनी, निजी या सार्वजनिक से राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिप्राप्ति/भूमि क्रय /समझौते के माध्यम से भूमि का क्रय करने, की रीति।"
धारा	59 का संशोधन	12.	धारा 59 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में "विशेष आवास एवं परिषद् योजना के रूप में निर्दिष्ट किये जायेंगें, प्रारम्भ किये गये हैं)" शब्दों एवं कोष्ठक के पश्चात् शब्द "उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976, उत्तराखण्ड पर्यटन क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) अधिनियम, 2013, उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 106 की उपधारा (2) के खण्ड (क), धारा 106(घ), 106(ङ), 106(च), 106(छ), 106(ज), 106(झ), 106(ञ) एवं 106(ट)" शब्द अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगें।

आज्ञा से, धनंजय चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव।

## उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य में निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण शहरीकरण की प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए सुनियोजित विकास की परिकल्पना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु राज्य सरकार इस दिशा में गम्भीरता से कार्यवाही कर रही है। सुनियोजित विकास को सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। सुनियोजित विकास की इस प्रक्रिया में प्राधिकरण तथा आमजन के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना अपरिहार्य है तथा समावेशी विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक भी है। जनहित को सर्वोपरि रखते हुए, आमजन की सुविधा एवं हितों में सन्तुलन स्थापित करने, सुनियोजित विकास हेतु "नगर नियोजन योजना" एवं "भूमि संग्रहीकरण योजना" का क्रियान्वयन किये जाने, भू—बैंक स्थापित कर प्राधिकरणों को अधिक सशक्त एवं क्रियाशील बनाये जाने के उद्देश्य से विधेयक पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

प्रेम चन्द अग्रवाल मंत्री।

#### No. 153/XXXVI(3)/2025/11(01)/2025 Dated Dehradun, April 11, 2025

#### NOTIFICATION

#### Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Urban and Country Planning and Development (Amendment) Act, 2025' (Act No. 08 of 2025).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 9<sup>th</sup> April, 2025.

# THE UTTARAKHAND URBAN AND COUNTRY PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 2025

(Uttarakhand Act No. 08 of 2025)

Further to amend The Uttarakhand Urban and Country Planning and Development Act, 1973, to the context of State of Uttarakhand.

#### An

#### Act

Be it enacted in the Seventy sixth Year of the Republic of India by the Uttarakhand Legislature as follows: -

Short Title and commencement 1. (1)	This Act may be called The Uttarakhand Urban and Country Planning and Development (Amendment) Act, 2025.  It shall come into force at once.
-------------------------------------	---

M. A.		
nsertion of	2.	In The Uttarakhand Urban and Country Planning and
ection 2-A		Development Act, 1973 to the context of state of
		Uttarakhand (hereinafter referred to as Principal Act), in
		section 2 of the Principal Act-
	- 1	(i) for clause (o), the following clause shall be substituted;
		namely:-
		1.00
		"(o) "Land Pooling Scheme" means the Land Pooling
Loskfalle		Scheme or Land Pooling Policy made under Section
24.		9-A of this Act;"
y		(ii) After clause (p), the following clause shall be inserted;
		namely :-
tour 2 a ma	15	"(q) "Land Procurement Rules" means the procurement
		/purchase of land by the State Authority and/or by
	3 7 2	1 1 22 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		the Local Development Authority as the case may
Amendment of	-	be, as per rules under section 55"
	3.	In Section 4 of Principal Act:-
Section 4		(a) clause (h), (i), (j), (l), (m) and proviso of sub section 2-A
		(1) shall be omitted.
		(b) in clause (a) of sub section 3-
		(i) after the words "a Chairman" the words "not below the
		rank of Secretary" shall be inserted.
		(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted
	İ	namely;
		"(c) the Secretary to the State Government in-charge of
		the Department of Housing or any officer nominated by
		him not below the rank of Joint Secretary"
\$4 12 h h.	4	(iii) for clause (d), the following clause shall be substituted
		namely;
		"(d) the Senior Superintendent of Police or
		Superintendent of Police (Traffic) as the case may be of
		every district or any part of which is included in the
		development area or any other officer nominated by
1	- 1	him not below the rank of Dy. SP ex-officio"
1 2 2	1.332	The state of the s
4 11	inu.	
* *4	laun.	
* 11		<ul><li>(iv) for clause (f), the following clause shall be substituted namely;</li></ul>
* 11		<ul><li>(iv) for clause (f), the following clause shall be substituted namely;</li><li>"(f) the Regional Transport Officer or any other officer</li></ul>
	il un	<ul><li>(iv) for clause (f), the following clause shall be substituted namely;</li><li>"(f) the Regional Transport Officer or any other officer nominated by him not below the rank of Dy. Regional</li></ul>
	in unc	<ul> <li>(iv) for clause (f), the following clause shall be substituted namely;</li> <li>"(f) the Regional Transport Officer or any other officer nominated by him not below the rank of Dy. Regional Transport Officer ex-officio"</li> </ul>
		<ul> <li>(iv) for clause (f), the following clause shall be substituted namely;</li> <li>"(f) the Regional Transport Officer or any other officer nominated by him not below the rank of Dy. Regional Transport Officer ex-officio"</li> <li>(v) for clause (g), the following clause shall be substituted</li> </ul>
* 1 1 1		<ul> <li>(iv) for clause (f), the following clause shall be substituted namely;</li> <li>"(f) the Regional Transport Officer or any other officer nominated by him not below the rank of Dy. Regional Transport Officer ex-officio"</li> <li>(v) for clause (g), the following clause shall be substituted namely;</li> </ul>
		<ul> <li>(iv) for clause (f), the following clause shall be substituted namely;</li> <li>"(f) the Regional Transport Officer or any other officer nominated by him not below the rank of Dy. Regional Transport Officer ex-officio"</li> <li>(v) for clause (g), the following clause shall be substituted namely;</li> <li>"(g) the Municipal Commissioner of the Municipal</li> </ul>
	in i	<ul> <li>(iv) for clause (f), the following clause shall be substituted namely;</li> <li>"(f) the Regional Transport Officer or any other officer nominated by him not below the rank of Dy. Regional Transport Officer ex-officio"</li> <li>(v) for clause (g), the following clause shall be substituted namely;</li> <li>"(g) the Municipal Commissioner of the Municipal Corporation or Executive Officer of the Urban Local</li> </ul>
		<ul> <li>(iv) for clause (f), the following clause shall be substituted namely;</li> <li>"(f) the Regional Transport Officer or any other officer nominated by him not below the rank of Dy. Regional Transport Officer ex-officio"</li> <li>(v) for clause (g), the following clause shall be substituted namely;</li> <li>"(g) the Municipal Commissioner of the Municipal</li> </ul>

	Title	न नजट, 11 अप्रल, 2025 इंग (चत्र 21, 1947 राज राज्यत)
		<ul> <li>(vi) in clause (h), after the words "any person nominated by him" the words "not below the rank of Deputy Collector" shall be inserted</li> <li>(vii) clause (i) &amp; (j) of sub-section (3) shall be omitted.</li> </ul>
Amendment of		In section 6 of Principal Act, in sub-section (2) after clause
Section 6		
		(d), the following clause shall be inserted namely;
		"(dd) the Managing Director of the Jal Nigam established
1.	-	under the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act,
i <sup>7</sup> = 1		1975 or any person nominated by him ex-officio"
Amendment of	and a	In section 7-A of Principal Act after clause (xiii), the following
Section 7-A		clause shall be inserted namely: -
	- 4	
1	. 1-	"(xiii-a) to hear revision against the orders passed under sub-
		section 4 of Section 18"
Amendment of	6.	For section 9-A, of the Principal Act, the following section
Section 9-A		shall be substituted namely: -
	1.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		"9-A Town Planning Scheme and Land Pooling Scheme: -
		(1) The State Authority and/or Local Development
		•
		Authority may make one or more Town Planning
1		Scheme and/or Land Pooling Scheme in respect
		of any area within its development area, as
V 410 5 0	1	prescribed in the rules framed by the State
	24	Government.
231 -		(2) The Town Planning Scheme and/or Land Pooling
_	_	Scheme so made shall be submitted to the State
		Government for its approval.
y, "the a car	pillo	(3) If any area not included, within the development
	to both	area of the Local Development Authority and
G6 7 7 161		where the Town Planning Schemes and Land
		pooling Scheme has to be framed and
		implemented then the said area will be declared
- 1	=	as the development area of the Local
		Development Authority by the State Government
		for the nurnose of implementation of the
		for the purpose of implementation of the Town
1200		Planning Scheme and/or Land Pooling Scheme:
2,017	1	Provided that the State Government may get the
		work of construction and implementation of
		Town Planning Scheme and Land Pooling
		Scheme from any other agency other than the
2.1		State Authority or the Local Development
		Authority.
	7 (1	(4) Notwithstanding anything contained in any
		other provisions of this Act, the Town Planning
1.		Scheme and Land Pooling Scheme shall have an
		overriding effect over the Master Plan or Zonal
	1	Development Plan provident for the street of
		Development Plan prevalent for the time being"

2 011114 5 51		t H.L. Saranhadi I
Insertion of new	7.	After section 9-A, the following sections shall be inserted;
section 9-B and	1	namely: -
9-C		"9-B Notification of Influence area by State
	54	Authority and Local Development Authority: -
, , ,		(1) The State Authority and/or Local Development
		Authority may notify after the approval of Draft
	1	of Town Planning Scheme, or Land Pooling
21.52.1		Scheme as the case may be, the influence area in
17		the periphery of the respective schemes, as the
	-	residents there shall be getting the benefits of the
		residents there shall be getting the benefits of the
		infrastructure development in these schemes.
	1	Such influence area shall not exceed 500 mts.
	-	from the boundary of respective schemes.
		(2) The development proposed in the influence area
2 75 55 9		shall attract development charges and other
		levies as prescribed in the rules
	9.78	9-C Restrictions on Development-
		(1)The Local Development Authority may freeze any
. 10		development or construction in the area proposed in the
, ,		draft of Town Planning Scheme and/or Land Pooling
		Scheme as prescribed in the rules.
		(2)The State Authority may direct the Local
		Development Authority to freeze any development or
		construction in the area proposed in the draft of Town
normal in sub-	1-4	Planning Scheme and/or Land Pooling Scheme so issued
Lototh er or or out a	112	by it".
Amendment of	8.	In section 17 of the Principal Act-
Section 17		(i) In clause (c), for the words "Policy," the words "Land
		Pooling Scheme" shall be substituted.
		(ii) for clause (d), the following clause shall be substituted
		namely: -
B		"(d) Procurement/purchase of land through negotiation,
d of	1.05	from any private person/agency/company, private
a Act		or public, as prescribed by rules"
Insertion of new	9.	After section 17-B, the following section shall be
section 17-C		inserted namely:-
SECTION 17-C		"17-C Land Bank of the Local Development
		Authority-
	1	(1) The Local Development Authority shall have
1		the power to create its own land bank through-
		(a) the State Government under the Land
		Acquisition Act, prevalent at the time of
		land acquisition Rules or
		(b) Surplus land received from the State
		Government, or,
,		(c) The Land Acquisition/Land Pooling
		Scheme, or,
	1	1

जाराखण्ड	असावा	रण गजट, 11 अप्रैल, 2025 ई0 (चैत्र 21, 1947 शक सम्बत्) 👚 1
		<ul> <li>(d) Procurement/purchase of land/ purchase of land through negotiation, from any private person/agency/company, private or public, as prescribed by rules.</li> <li>(2) The Local Development Authority shall have the power to dispose of/transfer any land of its land bank to the State Authority/any Local Development Authority/ Company/ Agency/ Person, Private or Public, in such manner and</li> </ul>
		subject to the terms and conditions as it considers expedient"
Amendment of	10.	
Section 18		In sub section (6) of section 18 of Principal Act, for the words
		"an appeal to the District Judge" the words "a revision
Amendment of	11.	before the State Authority" shall be substituted.
Section 55		In section 55 of the Principal Act —
		(a) in sub-section (1), the words "or State Authority" shall be omitted.
		(b) clause (c) of sub-section (2) shall be renumbered as
		clause (g), and the following clauses shall be inserted;
		after clause (b), namely: -
		"(c) the manner for implementation of 'Land Pooling
		Scheme' by the State Authority and /or Local
		Development Authority under Section 9-A;
		(d) the manner for implementation of Town Planning
		Scheme' by the State Authority and /or Local
		Development Authority under Section 9-A; (e) the levy of development charges in the
L		, service charges in the
		development areas and in the influence areas;
		(f) the manner for procurement/ purchase of land
		through negotiation, from any private person(s)
		/agency/company, private or public by the State
Amendment of	12.	Authority and/or Local Development Authority;" In clause (a) of sub-section (1) of section 59 of the Principal
Section 59		Act after the words and bracket "Special Avas Evam Vikas
		Parishad Schemes)" the words "the Uttar Pradesh Area
		Development Act, 1976, the Uttarakhand Special Area
		(Planned Development and Promotion of Tourism) Act,
,		2013, clause (A) of sub-section 2 of Section 106, sections 106
		(d), 106 (e), 106 (f), 106 (g), 106 (h), 106 (i), 106 (j) and 106
		(k) of Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016" shall be
		inserted.

By Order,

DHANANJAY CHATURVEDI,

Principal Secretary.

#### Statement of objectives and reasons

Keeping in the view the trend of urbanization due to the ever-increasing population the State Government is taking serious actions in the directions to give the concrete shape to the concept of planned development. Development Authorities has been constituted in every district of the State to ensure the planned development. In the process of the planned development, it is inevitable to establish better coordination between authority and the general public and for the inclusive development it is necessary too. Keeping the public interest paramount, it is proposed to introduce a bill establishing the balance between convenience and interests of the general public, establishing the process of Town Planning Scheme and Land Pooling Scheme for well planned development, making authorities stronger and more active by establishing a land bank.

2. The proposed Bill fulfills the above objectives.

Prem Chand Agarwal Minister